केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

# दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 63 बुधवार 23 सितम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

## नियुक्ति पाने वालों से पैसा मांगने वाले जेल में सड़ेंगे

लखनऊ (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर उन्होंने दो टूक कहा कि यदि नियुक्ति पत्र पाने वालों से किसी ने पैसे मांगे तो उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि किसी भी शिक्षक को ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रबंधक की कोई जिज्ञासा है तो वह शासन के सामने अपनी बात रखे,

लेकिन नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद यदि किसी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या शिक्षक से किसी ने लेनदेन की बात की तो उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। हमें सख्त सख्त कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ेगा।

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और पिछले एक सप्ताह में वह 5,297 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। पिछले नौ वर्ष में 9.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। हमने सैफई सिंडिकेट से कहा है कि हम नियुक्ति पत्र देते जाएंगे, वे गिनते जाएं। सीएम ने तंज कसा कि यदि गिनती नहीं आती हो तो शिवपाल जी के सानिध्य में बैठ जाएं, बहुत अच्छी गिनती सीख जाएंगे।

सीएम योगी ने पूर्ववती सपा सरकार पर सियासी वार करते हुए कहा कि अब कोई सैफई सिंडिकेट प्रतिभावान छात्रों के हितों पर डकैती डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता।

## पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग को लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

बस्ती। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग को लेकर मंगलवार को शिक्षकों ने विवेक प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत शिक्षक कई वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 2016 के बाद

से विभिन्न कारणों से पदोन्नति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है । जबकि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं।

ज्ञापन देने के बाद शिक्षकों ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया लंबित होने से विद्यालयों के संचालन में भी कठिनाइयां आ रही हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, जिससे शिक्षण कार्य पर असर पड़ रहा है। बताया कि पदोन्नति से संबंधित न्यायालयी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और अब प्रक्रिया पूरी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

ज्ञापन में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि बेसिक शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराया जाए, जिससे पात्र शिक्षकों को उनका अधिकार मिल सके और विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो सके। ज्ञापन देने वालों में अनुराग श्रीवास्तव, धनीष त्रिपाठी, प्रदीप कुमार गुप्ता, विजय कुमार भारती, अमित मिश्र, दिलीप यादव, प्रदीप यादव, अरूण दूबे, रामाज्ञा यादव, पंकज चौधरी, राजेश कुमार, विमल वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, दिनेश कुमार, सुदर्शन कुमार, विद्याराम, जयदत्त चौधरी के साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे।

## डा. वी.के. वर्मा को काव्य शिरोमणि सम्मानः अदबी संगम ने किया अभिनन्दन

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

बस्ती। प्रसिद्ध समाजसेवी, वरिष्ठ चिकित्सक, साहित्यकार डा. वी.के. वर्मा को उनके साहित्यिक योगदान के लिये साहित्य मण्डल श्रीनाथद्वारा राजस्थान की ओर से काव्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। डा. वी.के. वर्मा को सम्मानित किये जाने पर साहित्यिक संस्था अदबी संगम द्वारा डा. वी.के. वर्मा का अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' ने कहा कि डा. वी.के. वर्मा को प्रकृति ने विलक्षण प्रतिभा दिया है। उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालते हुये कहा कि 'मानवता के स्वर, काव्य मुखी, युग चित्र, भावानुभूति, काव्य सौरभ, 'भाव मन्थन' काव्य संग्रह एवं लघु कथा संग्रह 'सोच, कहानी संग्रह उत्कर्ष एवं 'कोविड 19 काव्य संग्रह' ' सिद्धार्थ से तथागत' जैसी कृतियों की रचना सहज कार्य नहीं है. डॉ. वर्मा ने चिकित्सक और साहित्यकार दोनों सन्दर्भो में स्वयं को सिद्ध किया है। साहित्य जगत को उनसे बहुत संभावनायें हैं।

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि वे जिन स्थितियों को अनूभूत करते हैं उसे काव्य में ढालने की कोशिश करते हैं। कहा कि तथागत गौतम बुद्ध पर उनका महाकाव्य सिद्धार्थ से तथागत' को पाठकों की विशेष सराहना निरन्तर मिल रही है। कहा कि सम्मान से और बेहतर दायित्वों के निर्वहन की रचनात्मक ऊर्जा मिलती है।

डा. वर्मा को काव्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किये जाने पर अनवार हुसेन पारसा, डा. अफजल हुसेन 'अफजल', दीपक सिंह प्रेमी, डा. राजेन्द्र सिंह 'राही', राहुल कुमार चौहान, परवेज हाशमी, डा. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, श्याम प्रकाश शर्मा, विनोद उपाध्याय, डा. आर.एन. चौधरी, डा. आर.जी. सिंह, जगदम्बा प्रसाद 'भावुक', सागर गोरखपुरी के साथ ही अनेक साहित्यकारों, चिकित्सकों, समाजसेवियों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

## राजेश चौधरी अध्यक्ष, मित्रसेन यादव मंत्री घोषित

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

### –प्राथमिक शिक्षक संघ के अधिवेशन में उठे मुद्दे

बस्ती। मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक इकाई रुधौली का अधिवेशन और निर्वाचन ब्लाक संसाधन केन्द्र रुधौली में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन के प्रथम चरण में शैक्षिकोन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला संयोजक देवेन्द्र वर्मा ने कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा और शिक्षालय दोनों को उत्कृष्ट बनाये रखना शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गोष्ठी को इन्द्रसेन मिश्रा, महेश मास्टर, दुर्गा प्रसाद सिंह, शोभाराम वर्मा ,चंद्रभान चौरसिया, राम भरत वर्मा, आदि ने संबोधित किया।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में पर्यवेक्षक विजय प्रकाश चौधरी और चुनाव अधिकारी सत्य प्रकाश पाठक की देखरेख में ब्लॉक स्तरीय निर्वाचन कराया गया। सर्व सम्मत से अध्यक्ष पद पर राजेश चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव सिंह, मंत्री मित्रसेन यादव, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार, संयुक्त मंत्री पद पर कैलाश नाथ निर्वाचित हुए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर राम सागर चौधरी, संदीप भारती, पवन और वंदना, संगत मंत्री पद पर बृजेश पटेल, अनूप कुमार, बिन्द्रेश, मनीष वर्मा और प्रतिम यादव, प्रचार मंत्री पद पर उमेश कुमार चौधरी,त्रिभुवन सिंह, अनिल कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, एकाउंटेंट पद पर संजय कुमार और ऑडिटर संजय निर्वाचित हुए।

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विजय प्रकाश चौधरी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रताप नारायण चौधरी, रामपाल चौधरी, अवलेंद्र पटेल, पप्पू सक्सेना, मधुकर, भारत राम सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।

## व्यापार मण्डल ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापनः यूपीआई पर एमडीआर शुल्क वापस लेने की मांग

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

बस्ती। यूपीआई लेन–देन पर एमडीआर चार्ज लगाए जाने की प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को बस्ती उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर निर्णय पर पुनर्विचार करने की किया।

ज्ञापन देने के बाद व्यापार मंडल के चेयरमैन आनंद राजपाल ने कहा कि यूपीआई भुगतान व्यवस्था आज छोटे व्यापारियों से लेकर आम जनता तक के लिए आसान और सुविधाजनक माध्यम बन चुकी है। ऐसे में यूपीआई लेन–देन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से व्यापारियों और ग्राहकों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

संयोजक सूर्य कुमार शुक्ल ने कहा कि सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है और यूपीआई ने व्यापार को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमडीआर चार्ज लागू होने से छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की।

ज्ञापन देने वालों में महामंत्री रंजीत श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष प्रभात सोनी 'आर्यन' आशुतोष पाण्डेय, कृपाशंकर त्रिपाठी, गौरव साहू, नन्दकिशोर कसौधन, दिनेश जायसवाल, कमल जायसवाल, अरविन्द चौधरी, घनश्याम कसेरा, विजय श्रीवास्तव, अनिल कसौधन, शिवम कुमार, सुद्धू, सौरभ गुप्ता, भोला गुप्ता, ओम प्रकाश आर्य, रामजी कसौधन, भागवत बरनवाल, बैजनाथ अग्रहरी, अदालत प्रसाद, उमर खान, रवि कुमार, नीरज गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद कौशल, बृजकिशोर कसौधन, राजेंद्र कौसधन, हिमांशु गुप्ता, मनोज गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण शामिल रहे।

## आप नेता सांसद संजय सिंह 8 को बस्ती मेंः तैयारी बैठक में सौंपी जिम्मेदारी

**–भारतीय बस्ती संवाददाता**

बस्ती। आगामी 8 अक्टूबर को हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को हरैया विधानसभा की एक बैठक बभनान रोड स्थित रोशनी गंज चौराहे पर आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष दिलीप यादव एवं ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह रहे। बैठक में जिलाध्यक्ष डा. राम सुभाष वर्मा ने राज्यसभा सांसद के प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई और आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी । कहा कि कार्यक्रम की सफलता के लिये पूरी ताकत से जुट जाय।

बैठक में कुलदीप जायसवाल, पतिराम आजाद, राम सजन सूर्यवंशी, आनंद कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र वर्मा, महेंद्र वर्मा, मनोज यादव, गोमती प्रसाद विश्वकर्मा, अभिषेक यादव, विकास श्रीवास्तव, तिलकराम चौहान, शाहिद अली, प्रिंस, मोहित राम, विंध्याचल, वीरेंद्र कुमार, दिलीप कुमार यादव, हिमांशु तिवारी, हिमांशु यादव, शालिग्राम, जय सिंह, पवन सिंह व गुड्डू के साथ ही पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

## प्रबुद्ध वर्ग जन चौपाल में गूंजा स्वर्ण समाज की स्थिति और समाधान का मुद्दाः यूजीसी बिल समेत सामाजिक विषयों पर हुआ मंथन

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

बस्ती। वर्तमान समय में स्वर्ण समाज की स्थिति, सामाजिक चुनौतियों एवं उनके समाधान को लेकर मंगलवार को प्रेस क्लब, बस्ती में 'प्रबुद्ध वर्ग जन चौपाल' का आयोजन किया गया। चौपाल में एससी एसटी एक्ट और यूजीसी बिल समेत शिक्षा, कानून और सामाजिक समानता से जुड़े विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभय देव शुक्ला संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने कहा कि समाज के सामने मौजूद समस्याओं पर खुलकर संवाद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती के लिए जागरूकता, संगठन और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाना जरूरी है। समाज के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सामने रखनी चाहिए।

### –शिक्षा में भेदभाव स्वीकार्य नहीं– अभयदेव शुक्ल

वरिष्ठ समाजसेवी एवं विधानसभा 308 कप्तानगंज से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश ओझा ने कहा कि समानता और न्याय किसी भी मजबूत समाज की बुनियाद हैं। उन्होंने सामाजिक विषयों पर निरंतर संवाद और सकारात्मक पहल की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि समाज को आपसी एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा।

चौपाल में वक्ताओं ने शिक्षा में समान अवसर, कानून के समान रूप से प्रभावी क्रियान्वयन तथा समाज की समस्याओं के समाधान के लिए संगठित प्रयासों पर जोर दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में "हमारा समाज, हमारी जिम्मेदारी", "शिक्षा में भेदभाव नहीं चलेगा" और "संगठित होंगे तो समाधान होगा" जैसे संदेशों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और एकजुटता का आह्वान किया गया।

प्रबुद्ध वर्ग जन चौपाल के माध्यम से समाज से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर रखने और उनके समाधान के लिए आगे की रणनीति पर विचार–विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सूर्य कुमार शुक्ल , डा. अमरनाथ सिंह, राजेश मिश्रा कोला पाण्डेय , संतोष शुक्ला कृपाशंकर तिवारी दीनदयाल तिवारी, अंकेश पाण्डेय, नितिन मिश्रा, जितेन्द्र दूबे, राकेश दूबे, प्रदीप मिश्र, विनोद पाण्डेय, कुलदीप तिवारी, राकेश मिश्र, पवन पाण्डेय के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित रहे।

## जर्जर सड़कों को लेकर सुभासपा का हल्लाबोल, प्रमोद चौधरी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

बस्ती। विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर में जर्जर सड़कों का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। गोविंदापुर से ग्राम जाता कर्मा तथा बस्ती–डुमरियागंज मुख्य मार्ग से ग्राम महुआ डाबर को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों की बदहाल स्थिति को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पार्टी की ओर से ट्रैक्टर यात्रा निकालकर प्रशासन को सड़क निर्माण की मांग को लेकर आर–पार की लड़ाई की चेतावनी दी गई। सुभासपा पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने उपजिलाधिकारी भानपुर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से दोनों जर्जर मार्गों का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने और क्षतिग्रस्त स्थानों पर तत्काल मरम्मत कराने की मांग की गई। सुभासपा नेताओं का कहना है कि दोनों मार्ग पिछले कई

### -ट्रैक्टर यात्रा निकालकर दिया आर-पार की चेतावनी

वर्षों से बदहाल हैं। सड़क पर जगह–जगह बड़े और गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है। क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग किया गया कि सात दिनों के भीतर दोनों मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। इसके बाद 15 दिनों के भीतर तकनीकी जांच कराकर सड़क निर्माण का प्राक्कलन तैयार कराया जाए और अधिकतम 30 दिनों के भीतर निर्माण कार्य धरातल पर शुरू किया जाए। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता और निर्धारित समय–सीमा की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई।

ज्ञापन देने के बाद प्रमोद कुमार चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से जर्जर सड़कों से परेशान है और अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर काम चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय–सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासियों के साथ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से धरना–प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम प्रधान संतोष कुमार चौधरी, तेजेन्द्र निषाद, विनोद मौर्या, सूरज गौतम, कुलदीप शुक्ला, पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, धर्मराज, कृष्ण मोहन, अखिलेश, घनश्याम, धर्मेंद्र, मनोज, सुभाष सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

## जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल, भाजपा नेता सत्येन्द्र सिंह 'भोलू' ने डीएम से किया बिन्दुवार जांच की मांग

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

बस्ती। जिला चिकित्सालय बस्ती में व्यवस्थाओं और संसाधनों के उपयोग को लेकर सत्येन्द्र सिंह 'भोलू' ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मामलों की जांच कराने की मांग किया है। शिकायतकर्ता ने पत्र में अस्पताल की दवा उपलब्धता, इंटर्नशिप कर रहे छात्रों से कथित सुविधा शुल्क लिए जाने, चिकित्सकों की उपस्थिति, मरीजों की संख्या में कमी, ऑपरेशन के नाम पर कथित धन वसूली और सीसीटीवी व्यवस्था समेत कई मुद्दे उठाए हैं।

शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि कैली अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही कुछ सरकारी दवाएं जिला चिकित्सालय में मरीजों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में

इंटर्नशिप कर रहे बच्चों से ड्यूटी लगाने के नाम पर कथित तौर पर पांच हजार रुपये लिए जाने की शिकायत का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रशिक्षण ले रहे कुछ छात्र अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं।

पत्र में यह भी मांग किया गया है कि दूसरे जिलों के रहने वाले कुछ चिकित्सकों की जिला अस्पताल में ओपीडी और उपस्थिति की वास्तविक स्थिति की जांच कराई जाए। शिकायत में हड्डी एवं सर्जरी विभाग में ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से कथित रूप से धन लिए जाने के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सेवाओं के संबंध में शासन की व्यवस्था के अनुरूप मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसलिए इस मामले की भी जांच आवश्यक है।

सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि सभी विभागों की ओपीडी में सीसीटीवी लगाए जाने के लिए पिछले दो वर्षों से धन उपलब्ध होने के बावजूद अभी तक सभी ओपीडी में कैमरे नहीं लगाए गए हैं। पत्र में केवल दो ओपीडी में सीसीटीवी लगे होने का उल्लेख करते हुए शेष स्थानों पर व्यवस्था नहीं होने के कारणों की जांच की मांग की गई है।

इसके अलावा जिला अस्पताल में होम्योपैथिक दवाओं की खरीद कब हुई, पिछले कई वर्षों से खरीद नहीं होने की स्थिति में इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी भी जांच कराने की मांग की गई है।

सत्येन्द्र सिंह 'भोलू' ने जिलाधिकारी से सभी बिंदुओं की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराकर, यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को भी भेजी गई है।

## शिक्षक संघ ने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

बस्ती। डायट प्राचार्य एवं सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक संजय कुमार शुक्ल के कार्य–व्यवहार को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से उठाई गई शिकायत का मामला अब और गंभीर हो गया है। मंगलवार को शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।

जिलाध्यक्ष चन्द्रिका प्रसाद सिंह और जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में पहुंचे शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा जिलाध्यक्ष को पूरे मामले से अवगत कराया। पदाधिकारियों ने विशेष रूप से 10 सितम्बर को बहादुरपुर विकासखंड के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण के दौरान महिला शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार का मुद्दा उठाया। संघ का आरोप है कि

### –डायट प्राचार्य के कार्य–व्यवहार का मामला, भाजपा जिलाध्यक्ष ने डीएम से किया वार्ता

शौचालय एवं यूरिनल से संबंधित विषय को लेकर महिला शिक्षकों के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिससे शिक्षिकाएं आहत हुईं। संघ ने कहा कि शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करने के बजाय डायट प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना देना और विभिन्न तरीके की अपमानजनक टिप्पणी करके अपमानित करना लगातार जारी है। संगठन ने मामले में निष्पक्ष जांच कर तथ्य सामने लाने और दोष पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन लेने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों के समक्ष ही जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता की। उन्होंने डीएम को पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की बात कही। वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि शिक्षकों और विशेषकर महिला शिक्षकों के लिए सम्मानजनक एवं सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा कि संगठन मामले में होने वाली जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेगा।

ज्ञापन सौपने वालों में मुख्य रूप से सुधीर तिवारी, सुरेश गौड़, प्रवीण श्रीवास्तव, चंद्रभूषण द्विवेदी, हरेंद्र यादव, रजनीश यादव, मंगला प्रसाद मौर्य, विवेक सिंह, गौरव चौधरी, सच्चिदानंद मिश्रा, विनय शंकर पाण्डेय, वेद प्रकाश उपाध्याय, धीरज सिंह, भीमशंकर मिश्र, बाल मुकुंद चौधरी आदि शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 23 सितम्बर 2026 बुधवार

## सम्पादकीय

# एसआईआर पर उठते सवाल

देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत से ही तमाम तरह के विवाद जुड़े रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आनन–फानन में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों से लेकर प्रभावित लोगों ने तमाम सवाल उठाये। फिर पश्चिम बंगाल में भी कई विवाद सामने आए। जब विवाद बढ़ा तो देश की शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया। पश्चिम बंगाल में अभी मामला ठंडा पड़ा भी न था कि देश की नामचीन हस्तियों के वोटर रिकॉर्ड में कथित विसंगतियों के चलते नोटिस दिये जाने के बाद विवाद नये सिरे से सामने आया है। जिन लोगों को चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री एल.के.आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि चुनाव आयुक्त एस.एस.संधू को भी इस प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजा गया है। जबकि इस प्रक्रिया को खुद भारतीय निर्वाचन आयोग चला रहा है। जब एसआईआर की जटिल प्रक्रिया की कसौटी पर देश के जागरूक व दिग्गज नेता ही खरे नहीं उतर रहे हैं तो आम आदमी की क्या बिसात? ऐसे में सामान्य लोगों को अपनी दावेदारी के लिये कागजात जुटाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया कितनी जटिल हो चली है, वह इस बात से पता चलता है कि मात्र दिल्ली में ही 33 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस विशेष रूप से उन मामलों में जारी किए गए हैं जहां वोटरों को वर्ष 2002 के गहन संशोधन से नहीं जोड़ा जा सका है। दरअसल, एसआईआर प्रक्रिया में 2002 के गहन संशोधन से जोड़ने का प्रावधान बाद में शामिल किया गया । इस व्यवधान की वजह यह है कि नौकरी व शहर बदलने वाले बहुत सारे लोग दो दशक से अधिक समय का पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं रख पाते।

हालांकि, नया विवाद सामने आने के बाद चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस बात पर बल दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि वोट काटा जायेगा। आश्वासन दिया जा रहा है कि वोटरों को दस्तावेज जमा करने और जवाब देने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। साथ यह भी कि अंतिम फैसला उचित प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत ही लिया जायेगा। निश्चित रूप से यह सुरक्षा आश्वासन बेहद जरूरी है क्योंकि प्रक्रिया में शामिल न हो सकने वाले वोटर तमाम तरह की आशंकाओं से जूझ रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि वोटर लिस्ट को समय–समय पर अपडेट किया ही जाना चाहिए। जिससे वोटरों के दोहराव, अयोग्य व मृत वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कोई योग्य नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाये। निस्संदेह, ये दोनों ही मकसद समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, दिवंगत अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का नाम उन लोगों की सूची में आना, जिनका डेटा पिछले एसआईआर से जुड़ नहीं पाया था, यह दिखाता है कि डेटाबेस आधारित प्रक्रियाओं में कितनी विसंगतियां हो सकती हैं। इस तरह पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामने आई जटिलताएं व्यवस्था की विसंगतियों का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, हो सकता है कि वे एक दशक से अधिक समय तक वोट न दे पाएं। ऐसे मामलों के निपटारे की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए अपीलीय ट्रिब्यूनल को उनकी अपीलों पर फैसला लेने में बारह साल से अधिक का समय लग सकता है। इससे पूरे देश के लिये यह सीख मिलती है कि हर योग्य वोटर को, अब चाहे वह विशिष्ट व्यक्ति हो या आम नागरिक– वोटर लिस्ट में बने रहने का उचित अवसर मिलना चाहिए। इस पूरी कवायद की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये एक पारदर्शी और समीक्षा योग्य प्रक्रिया की जरूरत है।

# महिला सुरक्षा के यक्ष प्रश्न

बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न और उसके दोस्त से मारपीट की जैसी घटना सामने आई है, वह सरकार की बहुस्तरीय नाकामी का एक उदाहरण भर है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिस को अपराधियों से निपटने के मामले में खुली छूट देने का दावा करते हैं। लेकिन वहां हालत यह है कि सड़क पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बेलगाम होकर एक छात्रा के खिलाफ यौन हिंसा करते हैं और उनमें कहीं भी पुलिस या कानून का खौफ नहीं दिखता। गौरतलब है कि कोचिंग में पढ़ाई करने जा रहे छात्र और छात्रा को रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया और दुर्व्यवहार करने लगे।

सोशल मीडिया पर फैले एक वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे कुछ लोगों ने छात्रा के खिलाफ यौन हिंसा की और उसका अपहरण करने की कोशिश की। गनीमत बस यही रही कि छात्रा के दोस्त ने किसी तरह उसे बचा लिया। वरना अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना क्या शक्ल ले सकती थी।

मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आरोपियों में से तीन को हिरासत में लिया गया। सवाल है कि भीड़ की शक्ल में मौजूद लोगों के भीतर इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम देने की हिम्मत कहां से आ जाती है! भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कथित 'जंगल राज' को मुद्दा बना कर उसे सत्ता हासिल करने का एक जरिया बनाया था।

कहने को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य की कानून व्यवस्था के चौकस होने का दावा करते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि रात में भी अगर एक महिला सड़क पर निकले और कोई उन्हें छू ले, तो सुबह वे इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अपराधी बिहार छोड़ दें या श्मशान जाने के लिए तैयार रहें।

मगर आज हकीकत यह है कि उनके सत्ता संभालने के बाद राज्य में आए दिन महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराधों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और उन पर काबू पाने में सरकार लाचार दिख रही है। सच यह है कि सिर्फ दावे और वादे करने से आम जनता और खासतौर पर महिलाओं के बीच सुरक्षाबोध नहीं पैदा किया जा सकता। उन दावों को जमीन पर उतारने के लिए ईमानदार इच्छाशक्ति की भी जरूरत होती है।

# चुनावी चंदे के मामले में तय हो जवाबदेही

–अशोक लवासा–

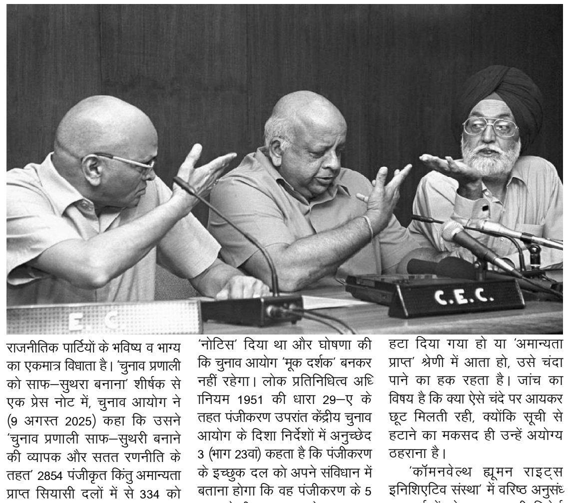


पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त सियासी दलों को मिलने वाले बड़े चंदे में पारदर्शिता न होने पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। चुनाव आयोग के सीमित हक, कर छूट प्रणाली व इलेक्टोरल बॉन्ड आदि के चलते संदेह और बढ़ा। ऐसे में कोर्ट की निगरानी में जांच व अनिवार्य ऑडिट जरूरी हैं। चुनाव आयोग को संदिग्ध दलों को हटाना चाहिए।

बीबीसी की हालिया खोजी खबर में छह पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को मिले भारी–भरकम चंदे के बारे में जांच ने भारतीय राजनीति का जाना–पहचाना लेकिन दिलचस्प पहलू उजागर किया है। ये वह बुराई है जो चंहु ओर व्याप्त है। सियासी दल और उन्हें फायदा देने वाले लोग इस गठजोड़ से फलते–फूलते हैं, भले यह निंदनीय, गैर–कानूनी व परेशानीजनक लगे।

इससे पहले, 18 जुलाई, 2025 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पाया गया कि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की घोषित आय में 223 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट कहती है, उक्त श्रेणी में आते 2764 दलों में से केवल 739 ने ही उस साल के अपने वित्तीय रिकॉर्ड चुनाव आयोग को सौंपे थे, जो कानून अनुसार राजनीतिक पार्टियों के भविष्य व भाग्य का एकमात्र विधाता है। 'चुनाव प्रणाली को साफ–सुथरा बनाना' शीर्षक से एक प्रेस नोट में, चुनाव आयोग ने (9 अगस्त 2025) कहा कि उसने 'चुनाव प्रणाली साफ–सुथरी बनाने की व्यापक और सतत रणनीति के तहत' 2854 पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त सियासी दलों में से 334 को सूची से हटा दिया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिन छह पार्टियों की चर्चा हो रही है, वे चुनाव आयोग की इस 'सतत रणनीति' का हिस्सा हैं या नहीं।

16 अक्तूबर, 1994 को, चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत एक आदेश में, मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने 'देश के करीब सभी सियासी दलों कृचाहे वे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियां थीं या पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त दलकृ में व्याप्त खराब कार्यप्रणाली' पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा रू'मुझे अभी तक एक भी ऐसी पार्टी नहीं मिली जो अपना कामकाज उसके अपने संविधान या नियमों–विनियमों में दिए प्रावधानों मुताबिक चला रही हो'। उस आदेश के जरिए, उन्होंने सभी दलों को अपना कामकाज ठीक करने के लिए 'नोटिस' दिया था और घोषणा की कि चुनाव आयोग 'मूक दर्शक' बनकर नहीं रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29–ए के तहत पंजीकरण उपरांत केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में अनुच्छेद 3 (भाग 23वां) कहता है कि पंजीकरण के इच्छुक दल को अपने संविधान में बताना होगा कि वह पंजीकरण के 5 साल के भीतर चुनाव लड़ेगा व अगर कोई दल '6 साल लगातार चुनाव नहीं लड़े' तो वह 'मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।'

'सूची से हटाने' (डीलिस्टिंग) का मतलब पंजीकरण रद्द करना नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसा करने का हक नहीं है। इस तरह, पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भले ही 'मान्यता प्राप्त' न भी हों, फिर भी वे धारा 29–बी के तहत चंदा पाने और धारा 29–सी के तहत आयकर छूट के हकदार रहते हैं। 'मान्यता' का मामला 'चुनाव चिन्ह आदेश' के आदेश नं. 6 से तय होता है, जो चिन्ह आवंटित करने के उद्देश्य से 'मान्यता प्राप्त' और 'गैर मान्यता प्राप्त' राजनीतिक दलों' में अंतर करता है व उनके वर्गीकरण के नियम तय करता है।

इसलिए, चाहे कोई दल सूची से हटा दिया गया हो या 'अमान्यता प्राप्त' श्रेणी में आता हो, उसे चंदा पाने का हक रहता है। जांच का विषय है कि क्या ऐसे चंदे पर आयकर छूट मिलती रही, क्योंकि सूची से हटाने का मकसद ही उन्हें अयोग्य ठहराना है।

'कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव संस्था' में वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता वेंकटेश नायक की रिपोर्ट के अनुसार, 22 दलों के पास 2024 के आम चुनावों के दौरान कुल 18,742.31 करोड़ रुपये की रकम थी। इसमें चुनाव की घोषणा के समय उनके पास मौजूद फंड और चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव खत्म होने के बीच जुटाया 7,416.31 करोड़ रुपये का चंदा शामिल था। केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपे गए हिसाब–किताब के मुताबिक, चुनाव उपरांत इन दलों के हाथ में 14,848.46 करोड़ रुपये था (नकदी, बैंक खातों और एफडी में रखा पैसा शामिल) जोकि चुनाव संबंधित खर्चों पर 3,861.57 रुपये लगने के बाद बचा था।

अध्ययन में पाया गया कि बीते दशक में, राजनीतिक चंदे पर कर छूट के कारण सरकारी खजाने को 11,813 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में निजी दानदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों ने सियासी दलों को चंदा देने में कॉर्पोरेट्स को पीछे छोड़ दिया। वित्त वर्ष 2022–23 में, व्यक्तिगत दानदाताओं ने 2,275.85 करोड़ रुपये छूट का दावा पेश किया, जो कॉर्पोरेट द्वारा किए 514.4 करोड़ रुपये और फर्मोंध्एसोसिएशन के 115.71 करोड़ रुपये के दावों से कहीं ज़्यादा था। राजनीतिक दलों को मिला घोषित चंदा 2015–16 में 714 करोड़ रुपये (43 दल) से बढ़कर 2023–24 में 7,203 करोड़ रुपये (27 दल) हो गया। तथापि, कुल चंदा रकम (नौ वर्षों में 28,287 करोड़ ररुपये) में से केवल 41.76 प्रतिशत पर ही कर छूट का दावा किया, जिससे शेष 58 फीसदी बारे सवाल उठते हैं। नायक हैरान हैं कि 'कर छूट की इच्छा रखे बिना चंदा देने को उन्हें क्या चीज प्रेरित करती है? पारदर्शिता की कमी के कारण जवाब अस्पष्ट है।'

'इलेक्टोरल बॉन्ड' के नाम पर 2018 में सत्ताधारी दल जो सुधार लाया था, उसने गोपनीयता की मोटी परत चढ़ा दी, जिससे दलों को चंदे का पूरा परिदृश्य धुंधला कर डाला। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन बाद में सामने आई चंदा संबंधी जानकारी ने ऐसे प्रश्न खड़े किए जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। अधिकांश पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त दल इलेक्टोरल बॉन्ड पाने के योग्य ही नहीं थे क्योंकि यह सुविधा उन दलों तक सीमित थी जिन्होंने हालिया लोकसभा या विधानसभा चुनावों में न्यूनतम 1 फीसदी वोट अंश पाया। तो फिर ये चंदा किसने व क्यों दिया?

राजनीतिक दलों को पारदर्शिता बरतने में बहुत कम रुचि है। वे केंद्रीय सूचना आयोग के 2013 के उस आदेश को टालने को एकजुट हो गए, जिसके तहत उन्हें 'सूचना अधिकार अधिनियम' के दायरे में लाया गया था। आयकर विभाग भी शायद सियासी दलों के खातों की जांच–पड़ताल को उतनी प्राथमिकता नहीं देता, जितनी आम करदाता के खातों को देता है। चुनाव आयोग के पास ऐसा करने के लिए न तो हक हैं, न इच्छाशक्ति और न ही संसाधन।

अतएव, यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड और कथित 'लेन–देन' मामले की पड़ताल अदालती निगरानी में करने का आदेश दे। इसमें उन 'छोटे' दलों का मामला भी शामिल हो जिन्हें भारी चंदा मिला और उन्होंने खर्चा दिखाया, जबकि चुनावी प्रक्रिया में सरगर्म नहीं दिखे। अनुच्छेद 324 के तहत, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को आदेश दे कि वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा नामित व्यक्ति से अपने खाते ऑडिट करवाएं। वह चुनावों के दौरान दलों के खर्च पर सीमा लगाने पर भी विचार करे। चंदे पर कर छूट को खर्च सीमा से जोड़ा जाए। शेष तमाम किस्म के चंदा, जिनसे दल समृद्ध होते हैं, उन पर पूरा कर लगना चाहिए।

जो पंजीकृत किंतु अमान्यताप्राप्त दल निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव नहीं लड़ते, उन्हें 'सूची से हटाने' के लिए चुनाव आयोग एक स्वचालित प्रक्रिया विकसित करे, और केंद्रीय डिजिटल पोर्टल बनाए, जिस पर सभी पंजीकृत दल अपना–अपना वित्तीय डेटा अपलोड कर सकें।

केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी ऊर्जा असली मतदाताओं को मतदाता सूची से निकाल बाहर कर 'शुद्धीकरण' करने के बजाय चुनावी माहौल 'साफ–सुथरा' बनाने में लगानी चाहिए। तब तक, 'हम भारत के लोग' नेपाल की सुरंगों में फंसे लोगों की तरह 'हुनुहुंचा' (हम यहां हैं) चीखते रह जाएंगे।

–लेखक पूर्व केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं।

# क्या चार हिस्सों में बंटेगा उत्तर प्रदेश!

–नीरज कुमार दुबे–

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी मौसम अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं है, लेकिन सियासी चौपाल पर ऐसा मुद्दा उछल गया है, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में बंटेगा और जातीय जनगणना के बाद इस दिशा में रास्ता साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, राजभर ने पूर्वांचल के अलग राज्य बनने पर उसके पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अपने समाज के व्यक्ति का दावा भी ठोक दिया।

देवरिया और अंबेडकरनगर में दिए गए अपने बयानों में ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि जातीय जनगणना के बाद राज्य के पुनर्गठन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राजभर ने जिन चार हिस्सों की बात की, उनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वांचल में राजभर समाज का बड़ा वोट आधार है, इसलिए अलग राज्य बनने पर पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज का बेटा होगा। उल्लेखनीय है कि यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है।

देखा जाये तो राजभर ने सिर्फ राज्य के नक्शे पर लकीर खींचने की बात नहीं की है बल्कि उस लकीर के पार सत्ता की कुर्सी पर भी अपना सामाजिक दावा रख दिया है। यही वजह है कि यह मामला महज प्रशासनिक पुनर्गठन की बहस नहीं रह जाता, बल्कि उत्तर प्रदेश की जातीय और क्षेत्रीय राजनीति के बीच सीधा उतर जाता है।

वैसे राजभर ने कोई नया कुआं नहीं खोदा है। उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की मांग दो दशक से ज्यादा समय से अलग–अलग रूपों में उठती रही है। सबसे ठोस पहल नवंबर 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार ने की थी। तत्कालीन विधानसभा ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था। मायावती सरकार का तर्क था कि इतने विशाल राज्य में प्रशासन और विकास को प्रभावी ढंग से चलाना कठिन है और छोटे राज्य क्षेत्रीय जरूरतों पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं।

प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, लेकिन आगे मामला नहीं बढ़ा। 2014 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2011 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और केंद्र के पास उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था।

यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग राज्य या हरित प्रदेश की मांग भी पुरानी है। राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक अजित सिंह समेत कई नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग राज्य की वकालत की थी। गन्ना, खेती, कारोबार, उद्योग और दिल्ली की नजदीकी को इसके पक्ष में प्रमुख तर्कों के तौर पर रखा जाता रहा है।

मगर पूर्वांचल की कहानी अलग है। यहां समर्थक कहते रहे हैं कि विशाल आबादी, आर्थिक पिछड़ापन, रोजगार के लिए पलायन और लखनऊ से दूरी के कारण क्षेत्र को अलग प्रशासनिक इकाई मिलनी चाहिए। बुंदेलखंड के लिए भी अलग राज्य की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन उसकी पेचीदगी यह है कि प्रस्तावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ–साथ मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है।देखा जाये तो मोटे तौर पर पुराने प्रस्तावों में पश्चिम प्रदेश में पश्चिमी और कुछ मध्य–पश्चिमी जिलों का बड़ा हिस्सा, अवध प्रदेश में मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जैसे जिले तथा पूर्वांचल में वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका शामिल रहा है। इन सीमाओं को लेकर अलग–अलग प्रस्तावों में फर्क भी रहा है।

छोटे राज्यों के समर्थकों का तर्क है कि छोटा प्रशासन ज्यादा चुस्त होगा, क्षेत्रीय समस्याओं पर सरकार की पकड़ बढ़ेगी और विकास की प्राथमिकताएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तय की जा सकेंगी। विरोध में यह सवाल भी उठता है कि क्या केवल राज्य छोटा कर देने से गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और क्षेत्रीय असमानता खत्म हो जाएगी? नए राज्यों के गठन के साथ राजधानी, विधानसभा, उच्च न्यायालय, सरकारी कर्मचारियों, संपत्तियों, कर्ज, राजस्व और संस्थानों के बंटवारे जैसी बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियां भी सामने आती हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 3 साफ करता है कि नए राज्य का गठन, मौजूदा राज्य की सीमा या क्षेत्र में बदलाव का अधिकार संसद के पास है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। प्रभावित राज्य की विधानसभा से उसके विचार मांगे जाते हैं, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। यानी अगर कभी उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है तो मामला लंबी संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया से होकर गुजरेगा।

बहरहाल, फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में पुरानी चिंगारी पर फिर से फूंक मार दी है। अब देखना यह है कि यह सिर्फ चुनावी मौसम की गरमागरम हुंकार बनकर रह जाती है या सचमुच उत्तर प्रदेश के नक्शे पर नई लकीर खींचने की कवायद शुरू होती है। क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात बड़ी पुरानी है, यहां चुनाव आते ही मुद्दे सिर्फ उठते नहीं, कई बार पूरे भूगोल को ही हिला देने लगते हैं। राजभर के बयान पर प्रतिक्रियाएं आने भी लग गयी हैं। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे चुनावी जुमला बताते हुए कहा है कि केंद्र या प्रदेश सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, जबकि भाजपा नेता संजीव बालियान ने यूपी को चार हिस्सों में बांटने के विचार का समर्थन किया है। वहीं विपक्ष ने कहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से ध्यान भटकाने के प्रयास हो रहे हैं ताकि मूल मुद्दों की ओर जनता का ध्यान नहीं जाये।

# कानून की हद में हो कर्ज की वसूली

–डॉ. सत्यवान सौरभ–

कर्ज लेना एक आर्थिक अनुबंध है। कर्ज की राशि निर्धारित समय पर वापस न मिलने की स्थिति में बैंक या वित्तीय संस्था को अपनी बकाया राशि वसूलने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कर्ज की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कानून, ऋण समझौते और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज बकाया होने का अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संस्था उसके साथ बलपूर्वक, अपमानजनक या मनमाने तरीके से व्यवहार कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है।

मामला उत्तर प्रदेश के हरि दत्ता शर्मा से संबंधित है। उन्होंने वर्ष 2019 में टाटा एसएफसी 407 ट्रक खरीदने के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से वाहन ऋण लिया था। ट्रक उनके लिए केवल एक वाहन नहीं था, बल्कि उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन था। ऋण की कुछ किस्तें बकाया होने के बाद वित्तीय संस्था और ऋणग्राही के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। शर्मा का आरोप था कि 9 अप्रैल 2023 की रात लगभग एक बजे कुछ लोग उनके वाहन को जबरन ले गए। आरोप यह भी था कि वाहन का स्टीयरिंग लॉक तोड़ा गया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया।

इसके बाद वाहन को बेच दिया गया। मामला पहले उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद पीड़ित ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हरि दत्ता शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2026 आईएनएससी 998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले को केवल इस दृष्टि से नहीं देखा कि ऋण की किस्तें बकाया थीं। न्यायालय ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि बकाया राशि की वसूली के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऋणदाता को अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है, लेकिन अधिकार का इस्तेमाल कानून की सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। किसी वित्तीय संस्था का ऋण वसूलने का अधिकार उसे बलपूर्वक वाहन छीनने या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। ऋण की वसूली और व्यक्ति की गरिमा, दोनों के बीच कानूनी संतुलन आवश्यक है।

इस मामले में ऋण समझौते में वाहन का कब्जा लेने से पहले सात दिन का नोटिस देने का प्रावधान था। न्यायालय ने पाया कि वाहन जब्त करने से पहले इस प्रावधान के अनुसार सात दिन का नोटिस नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त वाहन को रात लगभग एक बजे ले जाने और स्टीयरिंग लॉक तोड़ने की घटना ने भी मामले को गंभीर बना दिया। न्यायालय ने इस प्रकार की कार्रवाई को विधिसम्मत और शांतिपूर्ण कब्जे की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना।

यहां यह समझना भी जरूरी है कि सात दिन का नोटिस हर प्रकार के वाहन ऋण की जब्ती के लिए सार्वभौमिक कानूनी नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। इस मामले में सात दिन की अवधि संबंधित ऋण समझौते में निर्धारित थी। इसलिए इस फैसले का सही अर्थ यही है कि यदि ऋण समझौते में किसी निश्चित प्रक्रिया या नोटिस का प्रावधान है तो वित्तीय संस्था को उसका पालन करना होगा। साथ ही लागू कानून और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों का भी पालन आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण वसूली के दौरान अनुचित दबाव, उत्पीड़न और बलप्रयोग के प्रश्न को भी गंभीरता से लिया। बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऋण वसूली के लिए प्रतिनिधियों या वसूली एजेंटों की सहायता ले सकती हैं, लेकिन ऐसे प्रतिनिधियों को कानून के दायरे में ही कार्य करना होगा। किसी ऋणग्राही को धमकाना, अपमानित करना, असामान्य समय पर परेशान करना या बलपूर्वक संपत्ति पर कब्जा करना वैध वसूली प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता।

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्ति की आजीविका से जुड़ा है। यदि कोई ट्रक, टैक्सी, ऑटो या अन्य व्यावसायिक वाहन किसी व्यक्ति की आय का मुख्य साधन है, तो उसे मनमाने तरीके से छीन लेने का प्रभाव केवल संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं रहता। इससे व्यक्ति और उसके परिवार की आय प्रभावित हो सकती है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से जुड़े अधिकारों पर भी विचार किया। न्यायालय ने इस मामले में वाहन के आजीविका के साधन होने और उसके अनुचित तरीके से छीने जाने को गंभीरता से लिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित ऋणग्राही को महत्वपूर्ण राहत भी दी। वित्तीय संस्था को दोनों ऋण खाते बंद करने, वाहन की बिक्री से प्राप्त 4.50 लाख रुपये की राशि वापस करने तथा उस राशि पर बिक्री की तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा और आजीविका के नुकसान के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा तथा मुकदमे की लागत के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया। इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि ऋण की किस्तें न चुकाने पर वित्तीय संस्था वाहन जब्त नहीं कर सकती। यदि ऋणग्राही अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो ऋणदाता के पास कानून और अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करने के अधिकार बने रहते हैं। लेकिन उस कार्रवाई की प्रक्रिया कानूनसम्मत, पारदर्शी और सम्मानजनक होनी चाहिए। इसी तरह ऋणग्राहियों का भी दायित्व है कि वे ऋण की शर्तों का पालन करें और आर्थिक कठिनाई होने पर वित्तीय संस्था से समय रहते संवाद करें।

आज देश में लाखों परिवार वाहन ऋण लेकर ट्रक, टैक्सी, ऑटो, कार और अन्य व्यावसायिक वाहन खरीदते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों के लिए वाहन उनकी रोजी–रोटी का प्रमुख साधन होते हैं। ऐसे में ऋण वसूली की प्रक्रिया में मानवीय संवेदना और कानूनी जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं।

# शिवपाल बोले-राजभर का दिमाग खिसक गया, अच्छे डाक्टर की जरूरत, अच्छे डाक्टर नहीं मिल रहे तो मुझसे सलाह ले सकते हैं

**संवाददाता–देवरिया।** समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मानसिक बीमार बताया है और उन्हें अच्छे मानसिक रोग के डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत बताई है। शिवपाल ने योगी–मोदी को भी मीडिया की देन कहा है। शिवपाल यादव मंगलवार को बरहज में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद मोहन सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ओमप्रकाश राजभर अगर पूछेंगे तो उन्हें अच्छे डॉक्टर के बारे में सलाह देंगे। इससे पहले मंच से यूपी में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नौजवान ही बताएंगे कि वे नौकरी के लिए परीक्षा तो देते हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकलता।

अम्बेडकरनगर में शनिवार को पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के श्समाजवादी विजय रथश के भगवा रंग को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि रथ पर भगवा रंग के जरिए अखिलेश यादव जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब योगी सरकार के रास्ते पर चलना चाहती है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा था कि अखिलेश यादव रथ पर भगवा रंग लगाकर मानो यह बताना चाहते हैं कि हम वही लोग हैं, जो रामभक्तों पर गोली चलवाते थे। उन्होंने कहा था कि सपा सरकार के कार्यकाल में गुंडागर्दी, माफियागिरी, गैंगवार, लूट, डकैती, छिनैती और हत्या जैसी घटनाओं का बोलबाला रहा। शिवपाल यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की चोरी का पैसा भाजपा चुनाव में खर्च करेगी। भाजपा सरकार में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। सपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 100 से अधिक पुलों का निर्माण कराया गया, लेकिन भाजपा सरकार में 14 साल बाद भी निर्माणाधीन मोहन सिंह सेतु का काम पूरा नहीं हो सका है।

उन्होंने भाजपा सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। कहा कि बीते नौ वर्षों में देश पर कर्ज तीन गुना बढ़ गया है। विधानसभा के संचालन पर होने वाले खर्च का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई प्रचार–प्रसार में खर्च की जा रही है। सरकार चौनलों और अखबारों पर पैसा खर्च कर पूरे दिन छाए रहने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए।

# शराब भट्ठी के पास अचेत मिला युवक, अस्पताल पहुंचते–पहुंचते तोड़ा दम

**संवाददाता–महराजगंज।** घुघली नगर के अग्रसेन नगर निवासी मुकेश कन्नौजिया (25) मंगलवार दोपहर करीब दो बजे वार्ड नंबर छह स्थित देशी शराब भट्ठी के पास अचेत अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे ठेले पर रखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघली ले गए। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मोहल्ले में मातम पसर गया है। मृतक के पिता अर्जुन कन्नौजिया ने बताया कि मुकेश स्थानीय क्षेत्र में ही ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर चलाता था। पिछले कुछ महीनों से ऑटो नहीं मिलने के कारण वह घर पर ही रह रहा था। वहीं, उसकी मां सवारी और बहन ज्योति का रो–रोकर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार मुकेश परिवार का इकलौता बेटा था। स्थानीय लोगों के अनुसार मुकेश बुरी संगत में पड़ गया था। हालांकि, उसकी मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मुकेश के माता–पिता कपड़े धोने और प्रेस करने का काम कर परिवार का भरण–पोषण करते हैं। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन पत्नी से अलगाव हो गया था। करीब दो वर्ष की उसकी एक बेटी है, जो अपनी मां के साथ रहती है।

घटना की जानकारी मिलने पर नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष जायसवाल और वार्ड के सभासद प्रतिनिधि राजेश कुमार ने परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिया। शव का अंतिम संस्कार घुघली क्षेत्र के छोटी गंडक बैकुंठी घाट पर किया गया।

## फर्जीवाड़े से भूमि बैनामा की शिकायत पर खुद मौके पर पहुंचे डीएम

**संवाददाता–देवरिया।** शहर के कतरारी के छेरिहवा में एक जमीन का फर्जीवाड़ा कर बैनामा करा लेने की शिकायत मिलते ही मंगलवार को डीएम मधुसूदन हुल्गी खुद मौके पर पहुंच गए और राजस्व टीम के साथ निरीक्षण किया। राजस्व अधिकारियों को सभी पक्षों की सुनवाई कर मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए महिला की भूमि दिलाने का निर्देश दिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी मंगलवार को जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। इस बीच कतरारी छेरिहवा निवासी रीता देवी पहुंची और डीएम से कहा कि उनकी जमीन में फर्जीवाड़ा कर बैनामा एवं नाम चढ़वा लिया गया है। इस प्रकरण को डीएम ने अत्यंत गंभीरता से लिया और मौके पर राजस्व टीम के साथ पहुंचकर सभी बिंदुओं का गहन परीक्षण किया तथा निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि ऐसे प्रकरणों में पूरी गंभीरता बरती जाए। सभी पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामले का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने कहा कि प्रकरण की ठीक से जांच की जाए और दोनों पक्षों को सुना जाए। इसके बाद कार्रवाई करते हुए महिला की भूमि दिलाने का कार्य किया जाए। इस दौरान नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौंडिल्य, कानूनगो अश्वनी श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

# अधिवक्ता पर केस दर्ज होने के बाद वकीलों में आक्रोश, किया प्रदर्शन

**संवाददाता–देवरिया।** कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिवक्ता के विरुद्ध केस दर्ज होने पर मंगलवार को वकील भड़क उठे। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में उग्र प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के आंदोलन की सूचना पर डीएम मधुसूदन हुल्गी, एसपी अभिजीत आर शंकर भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए और बातचीत की। साथ ही मामले का निस्तारण कर देने का आश्वासन दिया।

चीनी मिल की भूमि पर चहारदीवारी तोड़ने व ईंट उठा ले जाने का आरोप कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मणि त्रिपाठी, पुरेंद्र तिवारी पर लगे हैं। इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। मंगलवार को जब इसकी भनक अधिवक्ताओं को लगी तो अधिवक्ता उग्र हो गए।

पुलिस प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे। अधिवक्ताओं के आंदोलन को देखते हुए सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस बल पहुंच गया और अधिवक्ताओं को समझाने में जुट गया। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हो गए। अधिवक्ताओं ने कहा कि दोनों लोग अपनी जमीन को देखने गए थे, उल्टे उनके विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। केस वापस नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बाद में एसपी भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए और बातचीत की। लगभग एक घंटे तक आंदोलन चलता रहा।

# गणेश महोत्सव का भक्तिभाव के साथ शुभारंभ

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

अयोध्या। श्री मंगल मूरति फाउंडेशन की ओर से आयोजित गणेश महोत्सव–2026 का शुभारंभ मधुवन लॉन में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापना एवं विधि–विधान से पूजा–अर्चना के साथ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश का पूजन कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री प्रवीण सिंह एडवोकेट रहे। उन्होंने भगवान गणेश का पूजन–अर्चन कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विवेक पाण्डेय 'रुद्राक्ष' एवं राम सूरत तिवारी ने भजनों की प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों पर श्रद्धालु भाव–विभोर नजर आए।लोकगायिका प्रकृति यादव और उनके दल ने लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भर दिया। भक्ति संगीत और लोक कला की प्रस्तुतियों से परिसर में देर तक भक्तिमय वातावरण बना रहा।

फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि गणेश महोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, लोक कला, संगीत और सामाजिक समरसता की भावना को जन–जन तक पहुंचाना है। महोत्सव के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक एवं लोक कला से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्र शेखर तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश यादव, राधेश्याम यादव, प्रदीप पाण्डेय, जितेंद्र यादव, पंकज मिश्रा, तेजपाल दूबे, अमर चौधरी, रत्नेश तिवारी, अमन विश्वकर्मा, रजनीश विश्वकर्मा, आनंद यादव, संतोष गुप्ता, आदित्य तिवारी, तेज नारायण तिवारी, राहुल चौधरी, दिलीप मौर्य, हिमांशु कनौजिया, राजा बाबू, अभिषेक सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन एवं श्रद्धालु मौजूद रहे।

# तप से आत्मा उज्ज्वल होती है, भाव विपरीत हों तो 'पतन' की ओर बढ़ता है जीवन

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–**

अयोध्या। आत्मा की निर्मलता और परमात्म पद की प्राप्ति का मार्ग तप, संयम और आत्मसाधना से प्रशस्त होता है। तप आत्मा को उज्ज्वल करता है और कर्मों की निर्जरा का माध्यम बनता है। तप का भाव विपरीत होने पर आत्मा पतन की ओर बढ़ती है। इसी आध्यात्मिक संदेश के साथ रायगंज स्थित जैन मंदिर में चल रहे दशलक्षण महापर्व में मंगलवार को श्रद्धालुओं ने उत्तम तप धर्म की आराधना की।इंद्रध्वज मंडल विधान के आयोजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। दस दिवसीय महापर्व में श्रद्धालु दस धर्मों की आराधना, पूजन और स्वाध्याय के माध्यम से आत्मशुद्धि में जुटे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। जैन साध्वी आर्यिका चंदनमती माता ने उत्तम तप धर्म का मर्म समझाते हुए कहा कि दस लक्षण धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने का माध्यम है। तप केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि इच्छाओं, विकारों और विषय–वासनाओं पर विजय पाने की साधना है। तप से आत्मा निर्मल होती है और उसका आध्यात्मिक प्रकाश प्रस्फुटित होता है। इसके विपरीत भाव आने पर आत्मा पतन की ओर अग्रसर होती है। पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए तप धर्म की आराधना आवश्यक है।उन्होंने बताया कि इंद्रध्वज मंडल विधान का शुभारंभ 1976 में गणिनी प्रमुख माता ज्ञानमती ने किया था। 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं।जैन मंदिर के पीठाधीश रवींद्रकीर्ति स्वामी ने कहा कि दशलक्षण महापर्व का आरंभ उत्तम क्षमा धर्म से होता है और दस दिवसीय साधना के बाद क्षमावाणी पर्व के साथ इसका समापन होता है। यह पर्व मनुष्य को आत्ममंथन, संयम और सदाचार की प्रेरणा देता है। श्रद्धालु पापकर्मों से विरत होकर सद्कर्म और आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ने का संकल्प लेते हैं।

## रायगंज जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व की धूम, इंद्रध्वज मंडल विधान के स्वर्ण जयंती वर्ष में विशेष आराधना राम मंदिर निर्माण की बाधा दूर करने के लिए भी हुआ था इंद्रध्वज मंडल विधान

इंद्रध्वज मंडल विधान से जुड़े प्रसंग को साझा करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति कैलाश चंद्र चांदीवाल ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के दौरान सामने आई बाधाओं के समय विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल ने माता ज्ञानमती से भेंट कर परिस्थितियों से अवगत कराया था। इसके बाद माता ज्ञानमती ने अपने भक्तों को निर्देश दिए और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से भी विधान कराया गया था।लखनऊ सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी आदेश जैन ने कहा कि अयोध्या ज्ञान, आस्था और विविध धार्मिक परंपराओं की समृद्ध भूमि है। यहां की विरासत और परंपराओं को सहेजना सभी का दायित्व है।नागालैंड से पहुंचीं रवि सेठी ने कहा कि इंद्रध्वज मंडल विधान में शामिल होकर उन्हें आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि की प्रेरणा मिली। यह विधान व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का अवसर देता है।

# कक्षा 2 की छात्रा की बैठे–बैठे मौत, स्कूल मैनेजर का दावा, गणेश विसर्जन जुलूस में डीजे बज रहा था, तेज आवाज से जान गई

**संवाददाता–बलरामपुर।** क्लास में बैठे–बैठे कक्षा–2 की छात्रा की मौत हो गई। बच्ची अचानक अपनी सीट से खड़ी हुई और फिर गिर पड़ी। कुछ देर बाद वह दोबारा संभली, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद वह नहीं उठी। यह देखकर टीचरों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं, स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय स्कूल के पास गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। उसमें फुल वॉल्यूम में डीजे बज रहा था। उसकी तेज आवाज से ही बच्ची की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। घटना डिवाइन पब्लिक स्कूल में सोमवार सुबह 11 बजे की है।

गांव गुलहरिया के रहने वाले सोनू तिवारी बलरामपुर में किराए पर रहते हैं। उनकी इकलौती बेटी वैष्णवी तिवारी (7) सोमवार को डिवाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ने गई थी। सुबह करीब 10रू58 बजे वह क्लास में थी। वह हंस रही थी और दूसरे बच्चों से बातें भी कर रही थी। वैष्णवी पूरी तरह सामान्य दिख रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि स्कूल के बगल से डीजे निकल रहा है। कुछ लोग डांस करते जा रहे हैं। डीजे की आवाज सुनकर क्लास में बैठे बच्चे भी कुछ देर तक डांस करने लगते हैं। इस दौरान बच्ची भी सीट से उठती है, लेकिन फिर अपनी सीट पर बैठ जाती है। एक बार वह लड़खड़ाती है, फिर एक सेकेंड में ही संभलकर दोबारा बैठ जाती है। लेकिन, कुछ ही सेकेंड बाद वह फिर गिर पड़ी और इस बार उठ नहीं सकी।

जब क्लास टीचर की नजर वैष्णवी पर पड़ी, तो वह दौड़कर उसके पास पहुंचीं। उसे उठाकर सीट पर बैठाने की कोशिश की। लेकिन, वैष्णवी नहीं उठी। इसके बाद उन्होंने एक बच्चे को भेजकर स्कूल के स्टाफ को बुलाया। टीचरों ने मिलकर वैष्णवी को संभाला और होश में लाने की कोशिश की। करीब 2 मिनट तक वैष्णवी को होश में नहीं आने पर उसे जिला मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान स्कूल का स्टाफ और वैष्णवी के परिवारवाले भी साथ थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी नब्ज देखी, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

जिला मेमोरियल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर गिरधर चौहान ने बताया– बच्ची को अस्पताल की इमरजेंसी में मृत हालत में लाया गया था। इसलिए बिना पोस्टमॉर्टम बच्ची की मौत का सटीक कारण बताना संभव नहीं है। लेकिन, घरवाले बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शव लेकर सिद्धार्थनगर चले गए।

वहीं, सीओ सिटी अभिषेक सिंह ने बताया– स्कूल के पास से गुजर रहे डीजे की आवाज से छात्रा की मौत होने की जानकारी सोशल मीडिया से मिली थी। थाने पर कोई सूचना नहीं दी गई। छात्रा का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही हैं।

## सेवा संकल्प अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित

**संवाददाता–श्रावस्ती।** विकास क्षेत्र जमुनहा के राजकीय महाविद्यालय हरदत्त नगर गिरंट में मंगलवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें अतिथियों ने विकसित भारत का तरीका बताया। कार्यक्रम में विकसित भारत की संकल्पना विषय पर भाषण प्रतियोगिता तथा मेरे सपनों का भारत–सेवा चित्र कार्यक्रम के तहत विकसित भारत 2047 की संकल्पना पर आधारित विशाल रंगोली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि काजल रिजवानी ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संभव होगा। हरीश जायसवाल ने कहा कि युवा शक्ति, कौशल, ज्ञान और नवाचार विकसित भारत की आधारशिला हैं तथा विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। प्राचार्य प्रो ममता पांडेय ने कहा कि महाविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के साथ उनकी रचनात्मक प्रतिभा को भी मंच प्रदान करते हैं। विकसित भारत का संकल्प युवाओं की सकारात्मक सोच, जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी से ही साकार होगा। भाषण प्रतियोगिता में शिवपाल यादव ने प्रथम, अर्चना विश्वकर्मा ने द्वितीय तथा लवकुश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रमन कुमार भार्गव एवं अशोक कुमार को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ जितेंद्र कुमार, डा कौशलेन्द्र विक्रम सिंह मौजूद रहे। इसी श्रृंखला में मेरे सपनों का भारत–सेवा चित्र के तहत महाविद्यालय परिसर में विकसित भारत 2047 के विभिन्न आयामों को दर्शाती विशाल रंगोली बनाई गई।

## सीएचसी में प्रेरणा कैंटीन का किया गया शुभारंभ

**संवाददाता–गोण्डा।** सीएचसी परिसर मेंबनी प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ मंगलवार को सीडीओ दयानंद प्रसाद ने फीता काटकर किया। यह कैंटीन रोली महिला स्वयं सहायता समूह मझरा की रंजना सिंह द्वारा संचालित की जाएगी। संचालिका रंजना सिंह ने बताया कि कैंटीन पर चाय, कॉफी, समोसा, नमकीन, पराठा, पानी, दूध के साथ सादा व स्पेशल थाली की व्यवस्था रहेगी। कैंटीन आम लोगों के लिए खुली रहेगी, मरीजों के तीमारदार सहित अन्य लोग इसका लाभ ले सकेंगे। खाद्य पदार्थों का मूल्य बाजार भाव के अनुरूप रहेगा। इस दौरान सीडीओ ने स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल का अवलोकन भी किया।मौके पर डीडीओ आदित्य तिवारी, बीडीओ अभिषेक मणि त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंकज सिंह, डीसी एनआरएलएम जेएन राव, अधीक्षक डॉ. आशुतोष शुक्ल, एडीओ पंचायत सतीश तिवारी, एडीओ आईएसबी पूनम शर्मा, सचिव सिद्धांत त्रिपाठी सहित सीएचसी व ब्लॉक कर्मी मौजूद रहे।


# कार्यालय नगर पंचायत, नगर बाजार, बस्ती।

## ई–निविदा सूचना

एतद्द्वारा समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित सामग्री क्रय किया जाना है, जिसके लिए आनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। बेवसाइट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि, निविदा डालने की तिथि, समय, कार्य करने की अवधि एवं निविदा लागत तथा निविदा के विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है।

ई–निविदा (टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल) निम्नलिखित विवरण के अनुसार वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर आनलाइन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत नगर बाजार बस्ती से कार्यालय समय एवं कार्य दिवस पर की जा सकती है।

| क्रमाक | वेबसाइट पर ई–निविदा प्रकाशन की तिथि व समय | तिथि | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | ई–निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि / समय | 23.09.2026 | 13:00 बजे |
| 2 | ई–निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि / समय | 23.09.2026 | 13:00 बजे |
| 3 | ई–निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि / समय | 06.10.2026 | 13:00 बजे |
| 4 | ई–निविदा खोलने की तिथि / समय | 06.10.2026 | 14:00 बजे |

**अधिशासी अधिकारी**
नगर पंचायत नगर बाजार,
जनपद–बस्ती।

**नीलम सिंह**
अध्यक्ष
नगर पंचायत नगर बाजार,
जनपद–बस्ती।

पत्रांक: 322(4) न0प0न0बा0 / 2026–27 | दिनाक 21–09–2026

# शादी के 24 घंटे के भीतर ही दूल्हा–दुल्हन की मौत, फंदे से लटके मिले दोनों के शव

**संवाददाता–सिद्धार्थनगर।** सात फेरों की खुशियां 20 घंटे भी नहीं टिक सकीं। जनियाजोत गांव में सोमवार को विवाह बंधन में बंधे नवदंपती के शव मंगलवार भोर में कमरे में मिले। 21 वर्षीय देशराज चौहान का शव फंदे से लटका था, जबकि उसकी 19 वर्षीय पत्नी अनिता बिस्तर पर मृत पड़ी थी। कमरे का दरवाजा खुला था। नवदंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच कर दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। जनियाजोत निवासी देशराज चौहान पुत्र मुकेश चौहान का जोगिया थाना क्षेत्र के कड़जहवा निवासी अनिता से प्रेम संबंध था। दोनों परिवारों ने रिश्ते को स्वीकार कर अप्रैल में शादी तय की थी। देशराज करीब 20 दिन पहले मुंबई से गांव लौटा था। उसके लौटने की जानकारी मिलने के बाद अनिता भी करीब दस दिन पहले उसके घर आ गई थी और वहीं रह रही थी। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से तय समय से पहले ही विवाह कराने का निर्णय लिया गया। सोमवार दोपहर करीब दो बजे बांसी स्थित टेकधर बाबा मंदिर में दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद घर में रिश्तेदारों और पट्टीदारों के लिए प्रीतिभोज हुआ। प्रीतिभोज के उपरांत रात में सभी लोग सोने चले गए। मंगलवार सुबह करीब चार बजे देशराज की मौसी नवदंपती को जगाने कमरे में पहुंचीं। दरवाजा खुला था। अंदर देशराज फंदे से लटका मिला, जबकि अनिता बिस्तर पर मृत पड़ी थी। दोनों को इस हालत में देखकर घर में चीख–पुकार मच गई। देशराज के पिता ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। नवदंपती की मौत कैसे हुई, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद गांव में तरह–तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पुलिस ने किसी संभावना की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मौत की वजह स्पष्ट होगी। देशराज और अनिता के बीच प्रेम संबंध था। दोनों परिवारों ने रिश्ते को स्वीकार कर अप्रैल में शादी तय की थी। देशराज के मुंबई से लौटने के बाद अनिता भी उसके घर आ गई थी। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से सोमवार को ही टेकधर बाबा मंदिर में उनका विवाह करा दिया गया। घटना की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने कमरे और आसपास की स्थिति की जांच करने के बाद दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

# बिजली चोरी पकड़ी तो विजिलेंस टीम का विरोध, छह महीने पहले कट चुका था कनेक्शन

**संवाददाता–गोरखपुर।** तुर्कमानपुर के कसाई टोला में मंगलवार को बिजली चोरी पकड़ने गई विजिलेंस टीम का उपभोक्ता और मोहल्ले के लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। टीम ने घर की छत पर बाईपास कर बिजली चोरी पकड़ी थी।

कार्रवाई शुरू होने के बाद उपभोक्ता मोहम्मद सलमान खान मौके पर पहुंचा और टीम का विरोध करने लगा। कुछ ही देर में कई मोहल्लेवासी भी एकत्र हो गए। हंगामे के कारण विजिलेंस टीम को उपभोक्ता का विवरण लेकर मौके से लौटना पड़ा। बिजली चोरी के मामले में मोहम्मद सलमान खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। नॉर्मल उपकेंद्र के अवर अभियंता सुधीर यादव ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे विजिलेंस टीम तुर्कमानपुर के कसाई टोला में जांच कर रही थी।

इस दौरान मोहम्मद सलमान खान पुत्र मोहम्मद साजिद खान के घर की छत पर बाईपास कर बिजली चोरी किए जाने का मामला पकड़ा गया। सलमान खान पर करीब ढाई लाख रुपये बिजली का बकाया है। बकाया जमा नहीं करने पर छह महीने पहले उसका कनेक्शन काट दिया गया था।

विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी मिलने के बाद चालान की कार्रवाई शुरू की। उस समय सलमान खान घर पर नहीं था। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और टीम के साथ हंगामा करने लगा। इसके बाद आसपास के कुछ लोग भी जुट गए और टीम की कार्रवाई का विरोध करने लगे। स्थिति को देखते हुए विजिलेंस टीम को मौके से वापस लौटना पड़ा। टीम ने उपभोक्ता का विवरण दर्ज कर लिया है। बिजली चोरी के मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।

# दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–** बस्ती। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, शाखा बस्ती की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को जनपद न्यायालय, बस्ती के केंद्रीय सभागार में अत्यंत गरिमामय एवं आत्मीय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश श्री शमशुल हक रहे। मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण करने वालों में अध्यक्ष भागवत शुक्ल, सचिव संतोष त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बीरेंद्र कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष, दीपक कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव रोहित कुमार जायसवाल एवं संगठन सचिव श्री सालिक राम यादव प्रमुख रूप से शामिल रहे।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष भागवत शुक्ल ने संगठन को व्यापक, सशक्त एवं सक्रिय स्वरूप प्रदान करने की दिशा में विभिन्न पदों पर मनोनयन करते हुए अमित श्रीवास्तव को संरक्षक, मोहम्मद नियाज अहमद को प्रवक्ता, कुलदीप द्विवेदी एवं मनोज कुमार को उपाध्यक्ष, नीरज कुशवाहा को कोषाध्यक्ष, वैशाली गुप्ता, रामचंद्र यादव को संगठन सचिव मनोनीत किया। वहीं उमेश जायसवाल को संघ के उपाध्यक्ष के साथ संघ के मीडिया संबंधी दायित्वों का प्रभार सौंपा गया। इन मनोनयन के माध्यम से संगठन ने यह संदेश दिया कि संघ की कार्यप्रणाली केवल पदों तक सीमित न रहकर सामूहिक सहभागिता, उत्तरदायित्व एवं कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर आगे बढ़ेगी।

समारोह में अध्यक्ष भागवत शुक्ल ने उपस्थित अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर अपर जिला जज प्रमोद गिरि, न्यायिक अधिकारीगण श्रीमती सत्यभामा कौशिकी एवं श्री तनय आकाश, तथा प्रांतीय संघ से आमंत्रित सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएँ दीं। वक्ताओं ने संगठन की भूमिका, कर्मचारी हितों, पारस्परिक समन्वय, अनुशासन एवं न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने में न्यायिक कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष श्री मस्त राम वर्मा ने भी संबोधित किया तथा नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएँ देते हुए संगठन के उज्ज्वल एवं सफल कार्यकाल की कामना की। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ प्रांतीय कार्यकारणी से अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रांतीय उपाध्यक्ष, अशोक ओझा प्रांतीय संगठन सचिव, श्री राम आधार पाल अध्यक्ष विकास भवन कर्मचारी संघ, एवं अखिलेश पाठक अध्यक्ष कोषागार कर्मचारी संघ उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में अध्यक्ष भागवत शुक्ल ने कहा कि संघ का अध्यक्ष पद उनके लिए किसी व्यक्तिगत गौरव का विषय नहीं, बल्कि जनपद के प्रत्येक कर्मचारी के विश्वास, अपेक्षा और अधिकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि "हमारा प्रयास होगा कि संगठन में किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी के सम्मान, अधिकार और हित का स्थान सर्वोपरि हो। हम पद की प्रतिष्ठा से अधिक उसके दायित्व की गरिमा को समझते हुए कार्य करेंगे। संगठन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसकी एकजुटता में निहित होती है। हमारा संकल्प है कि बस्ती शाखा कर्मचारी हितों की आवाज को पूरी निष्ठा, मर्यादा और संगठनात्मक अनुशासन के साथ मजबूती से उठाएगी।"

उन्होंने यह भी कहा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी संवाद, समन्वय और सहभागिता की भावना के साथ आगे बढ़ेगी तथा कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना, समझना और उनके समाधान के लिए सार्थक प्रयास करना उसकी प्राथमिकता होगी।

समारोह के अंतिम चरण में मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश शम्सुल हक ने अपने आशीर्वचन से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी एवं उपस्थित कर्मचारीगण को अभिसिंचित किया। उन्होंने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएँ देते हुए संगठन के सफल एवं रचनात्मक कार्यकाल की कामना की तथा आपसी सौहार्द, अनुशासन, समन्वय एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का संदेश दिया।

अंत में संघ के अध्यक्ष भागवत शुक्ल ने मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश, समस्त न्यायिक अधिकारीगण,दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों, उत्तर प्रदेश संयुक्त कर्मचारी परिषद के पदाधिकारियों, आमंत्रित अतिथियों तथा उपस्थित समस्त कर्मचारीगण के प्रति हृदय से आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह शपथ केवल पद ग्रहण करने की औपचारिकता नहीं, बल्कि कर्मचारी समाज के प्रति सेवा, समर्पण, उत्तरदायित्व एवं विश्वास की सार्वजनिक प्रतिज्ञा है।

समारोह में जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, संघ के सदस्य एवं गणमान्यजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह ने न केवल नई कार्यकारिणी को औपचारिक रूप से दायित्व प्रदान किया, बल्कि संगठन में नई ऊर्जा, नई आशा और सामूहिक संकल्प का भी संचार किया।

# भानपुर में स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण, व्यापारियों से संवाद कर समस्याओं का लिया जायजा

**–भारतीय बस्ती संवाददाता–** बस्ती। शासन के निर्देशों के क्रम में स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को मुख्य राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कीर्ति प्रकाश भारती ने नगर पंचायत भानपुर का निरीक्षण किया। उनके साथ डिप्टी कलेक्टर एवं अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार यादव एवं मंडल कार्यक्रम प्रबंधक स्वच्छ भारत मिशन अमरेंद्र सिंह मौजूद रहे।

प्रातः करीब छह बजे अधिकारियों ने नगर पंचायत के आदर्श नगर वार्ड में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन की स्थिति के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी ली गई। लोगों से यह भी पूछा गया कि घरों से गीला एवं सूखा कूड़ा अलग–अलग लिया जा रहा है अथवा नहीं। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया।

इसके बाद मुख्य बाजार में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत सफाई कार्य किया गया। इसमें स्थानीय कस्बावासियों और व्यापारियों ने भी सहभागिता की। अधिकारियों ने व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ चाय पर चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। व्यापारियों ने लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में हो रही देरी की समस्या से अवगत कराया। इस पर मुख्य राजस्व अधिकारी ने तत्काल अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से दूरभाष पर वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य बाजार में शराब की दुकान के पास सुबह करीब छह बजे ही शराब की बिक्री किए जाने की शिकायतधस्थिति सामने आई। मुख्य राजस्व अधिकारी ने तत्काल आबकारी विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी तथा पुलिस विभाग को भी अवगत कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

सफाई व्यवस्था के निरीक्षण और व्यापारियों के साथ संवाद की पहल से प्रभावित स्थानीय व्यापारियों ने मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। अधिकारियों ने लोगों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग करने और गीला–सूखा कूड़ा अलग–अलग रखने की अपील की।

# बरियावन कांडः इंस्पेक्टर समेत चार पुलिस कर्मी व लेखपाल निलंबित, रात में बिना बताए ढहा दिए थे घर–दुकान

**संवाददाता–अम्बेडकरनगर।** अकबरपुर के बरियावन गांव में रात के अंधेरे में जेसीबी से कई घर व दुकान गिराए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने घटना की जानकारी न होने और प्रभावी पर्यवेक्षण न करने के आरोप में अकबरपुर के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके साथ हल्का प्रभारी, हेड कांस्टेबल व सिपाही को भी निलंबित किया गया है। वहीं, लेखपाल रोहित लाल को भी निलंबित कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है।

पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 20 सितंबर की रात बरियावन निवासी रामसीरत समेत अन्य लोगों के घर अज्ञात लोगों ने जेसीबी से गिरा दिए थे। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। घटना के बाद प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, हल्का उपनिरीक्षक अजय कुमार, बीट हेड कांस्टेबल संतोष कुमार पांडेय और कांस्टेबल उपेंद्र यादव से पूछताछ की गई। सभी ने घटना के संबंध में जानकारी होने से इन्कार किया। पुलिस अधीक्षक ने इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही माना है।

प्रभारी निरीक्षक की शिथिलता और संदिग्धता प्रतीत होने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। वहीं, हल्का इंचार्ज अजय कुमार, बीट हेड कांस्टेबल संतोष कुमार पांडेय और कांस्टेबल उपेंद्र यादव को भी निलंबित कर दिया गया है। सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। एसडीएम अकबरपुर प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि मामले में लापरवाही बरतने पर हल्का लेखपाल रोहित लाल को निलंबित किया गया है।

# एबीवीपी के कार्यक्रम में पहुंचे छात्र नेता ने किया हंगामा, जमकर चले ईंट–पत्थर

**संवाददाता–गोरखपुर।** एबीवीपी के कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया, जब कार्यक्रम का वीडियो बनाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि वीडियो बनाने का विरोध करने पर एक छात्र नेता विवाद करने लगा। उसके साथ आए छात्रों ने मारपीट शुरू कर दी और ईंट–पत्थर चलाए। अचानक हुए हंगामे से मौके पर भगदड़ मच गई। कालेज के अंदर से भी छात्र बाहर निकल आए। राहगिर खुद की जान बचाने के लिए इधर–उधर छिपते नजर आए। सूचना पर कैंट थाने की विश्वविद्यालय चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्र नेता को छोड़कर उसके साथ आए अन्य छात्र वहां से भाग निकले। पुलिस ने छात्र नेता सतीश प्रजापति को हिरासत में ले लिया और कैंट थाने ले गई। घटना के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कैंट थाने पहुंच गए और हिरासत में लिए गए छात्र नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि छात्रनेता के साथ बैंक रोड स्थित एक इंटर कॉलेज के आठ से 10 छात्र विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे थे। हंगामा बढ़ने और पुलिस के पहुंचने के बाद सभी छात्र विश्वविद्यालय से आरटीओ मोड़ की ओर चले गए। वहां ऑटो में बैठकर फरार हो गए। छात्रों की वेशभूषा के आधार पर उनके इंटर कॉलेज के विद्यार्थी होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कैंट थाने में एबीवीपी कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग को लेकर डटे हैं। कैंट इंस्पेक्टर के साथ उनकी वार्ता चल रही है।



## अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–
अदालत– श्रीमान अतिरिक्त अधिकारी बस्ती जिला–बस्ती
श्रीमती साबिरा खातून
**बनाम**
कल्लू आदि

1. कल्लू पुत्र राम सुमेर 2. गब्बूलाल पुत्र हितई 3. मन्टूलाल पुत्र राम नेवास 4. बलवन्त कुमार पुत्र उजागिर 5. पप्पू पुत्र उजागिर 6. प्रमोद कुमार पुत्र आनन्द 7. रघुनाथ पुत्र रमेसर 8. राम अजोर पुत्र मुनेसर साकिनान मौजा पटखौली तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती 9. भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अध्यक्ष निवासी पटखौली तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

**तारीख पेशी 25–09–2026**

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 25 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 22 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

– द0 हाकिम

## अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–
मनीराम
बनाम
सरकार

1. रामजतन पुत्र पतिराज 2. राम कृपाल पुत्र राम मिलन 3. राम प्रकाश 4. रघुनाथ 5. बैजनाथ 6. सुभाष चन्द्र पुत्रगण राम आनन्द 7. श्रीमती रेशमा पत्नी राम जतन 8. चन्द्र प्रकाश पुत्र भरोसी 9. राम कृपाल 10. श्री प्रकाश पुत्रगण राम औतार निवासीगण ग्राम सिसवारी रघुवीर सिंह तप्पा पिलाई परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

**तारीख पेशी 28–09–2026**

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 28 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

## अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान मुख्य राजस्व अधिकारी बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–2033 / 2025
कं0 वाद सं–D202517140002033
अन्तर्गत धारा 30(2) अधि0 उ0प्र0 राजस्व सं–2006
दिग्विजयनाथ पाण्डेय आदि
बनाम
धर्मेन्द्र कुमार आदि

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्रीराम 2. सुग्रीम पुत्र रामअचल 3. रणजीत पुत्र सूबेदार 4. ग्राम पंचायत प्रधान बड़हर कला ग्राम बड़हर कला तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

**तारीख पेशी 28–09–2026**

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 28 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

## अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–716 / 2015
वृन्दा प्रसाद
बनाम
शफीकुर्रहमान आदि

1. मोहम्मद शफीकुर्रहमान 2. मोहम्मद महफूर्जरहमान पुत्रगण मुजीबुर्रहमान साकिनान मौजा बेदीपुर तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती 3. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी सन्तराम साकिन केवशवनगर ग्रान्ट परगना बूढ़ापार तहसील मनकापुर जिला गोण्डा

**तारीख पेशी 19–11–2026**

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 19 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

## अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अदालत– श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
सिविल निगरानी सं0–53 / 2025
शकुन्तला देवी आदि
बनाम
श्रीमती कौशल आदि

1. श्रीमती कौशल उम्र लगभग 32 वर्ष पत्नी अंबिका प्रसाद 2. अंबिका प्रसाद पुत्र स्व0 जयकरन साकिनान मौजा त्रिलोकपुर तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

–रेस्पॉन्डेंटियान प्रथम वर्ग

3. रेनू उम्र लगभग 35 वर्ष 4. शिखा उम्र लगभग 29 वर्ष 5. सीमा उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्रीगण स्व0 जयकरन साकिनान मौजा त्रिलोकपुर तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

–रेस्पॉन्डेंटियान द्वितीय वर्ग

**तारीख पेशी 13–10–2026**

अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 13 महीना 10 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम



# तालाब में पलटी कार, दो युवकों की मौत

**संवाददाता–संतकबीरनगर।** दुधारा थाना क्षेत्र के रूधौली गांव के पास मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तालाब में पलट गई। कार में सवार दो युवक पानी में डूबने लगे। हादसा देखकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कार को सीधा कर दोनों युवकों को बाहर निकाला। पुलिस और परिजन दोनों को सीएचसी सेमरियावां ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा पैड़ी–हनुमानगंज मार्ग पर हुआ। कार किस वजह से अनियंत्रित हुई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कार के तालाब में पलटने के बाद दोनों युवक उसमें फंस गए और पानी में डूबने लगे। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कार को सीधा किया और दोनों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को हादसे की जानकारी दी। पुलिस और परिजन दोनों युवकों को वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरियावां ले गए। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय हरिराम त्रिपाठी पुत्र प्रभुनाथ त्रिपाठी निवासी रूधौली, थाना पुरानी बस्ती, बस्ती और महेंद्र कुमार पुत्र रामदरश सैंथवार निवासी मझौवा जगत, थाना वाल्टरगंज, बस्ती के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के करीब एक घंटे बाद तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद पुलिस और परिजनों की मदद से दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही दुधारा थानाध्यक्ष अमित कुमार कुशवाहा, सीओ सदर प्रियम राजशेखर पांडेय और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से हादसे की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार किस वजह से तालाब में पलटी, पुलिस इसकी जांच कर रही है।


**दैनिक भारतीय बस्ती**

**संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।**

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

**अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–**
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

**लखनऊ कार्यालय–**
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

**गोरखपुर कार्यालय–**
इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
**dainikbhartiyabasti@gmail.com**